प्रेस नोट दिनांक 15.09.2023

(1). आज दिनांक 15.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 15.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 20 अभियुक्तों के विरुद्ध मिनी गुण्डा की कार्यवाही की।

(i). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा भोली-भाँली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. छोटा पुत्र तीरथ प्रसाद 2. अंकित पुत्र श्याम मोहन निवासीगण पचोखर 3. अर्जुन पुत्र शिवपूजन निवासी मझियार 4. कमलेश पुत्र रामदास निवासी डोमन खेड़ा 5. अशोक पुत्र माताबदल निवासी बछरन 6. सरोज पुत्र कौशल निवासी नोनार 7. छेदीलाल पुत्र पंचा निवासी चौरा 8. मुन्नू पुत्र दयाशंकर निवासी रमयापुर 9. संतू पुत्र रामचरन निवासी चौरा 10. सुदामा 11. तुलसा पुत्रगण सुखचैना निवासीगण प्रसिद्धपुर 12. दीपक सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(ii). थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह द्वारा भोली-भाँली जनता में भय आतंक फैलाकर गुंडा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. संतोष पुत्र माताबादल 2. अजय उर्फ बच्चा पुत्र माताबदल निवासीगण मनोहर बाबा मजरा ऐंचवारा 3. कमलेश रैदास पुत्र शिवपाल , 4.उमेश पटेल पुत्र अवधेश पटेल निवासीगण बड़ी मडैयन 5.श्रीकेशन ऊर्फ रज्जू पुत्र कुबेर यादव निवासी टेढ़ी पुरवा मजरा मडैयन 6.अमित उर्फ कमल पुत्र रामबरन 7.संतोष कुमार पुत्र रामबरन निवासीगण कर्का पडरिया 8.कौशल पटेल पुत्र भोला प्रसाद निवासी बरूई मजरा रुक्मा बुजुर्ग थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(i). प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री नागेन्द्र कुमार नागर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय तथा उनके हमराही आरक्षी दीपक कुमार द्वारा मु0अ0सं0 175/2023 धारा 363/366क भादवि व 16/17 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त भैंरोप्रसाद पुत्र मेवालाल निवासी भभेट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिन्द के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अजीजुद्दीन द्वारा मु0नं0 2346/2020 धारा 323/504/506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त राजेश उर्फ चूके पुत्र लल्लू

यादव निवासी पतौडा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट हाल पता संजय नगर गंगई तालाब रोड अतर्रा थाना अतर्रा जनपद बांदा को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 25 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री वीर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अशोक सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी संजय सिंह यादव द्वारा अभियुक्त शिवमंगल पुत्र शारदा प्रसाद रैदास निवासी सुभाष नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री गुलाब त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आरक्षी प्रवीण कुमार पाण्डेय तथा आरक्षी गोलू भार्गव द्वारा अभियुक्त लच्छन उर्फ लक्ष्मण पुत्र मुगलू जमादार निवासी इन्द्रानगर थाना मानिकपुर हाल पता खटकाना मुहल्ला थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में मुख्य आरक्षी जुबेर अली तथा उनके हमराही द्वारा मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त 1. प्रिंस पांडेय पुत्र रमाशंकर पांडेय निवासी ग्राम पीपरौध थाना मऊ जनपद चित्रकूट 2. मोहित कुमार पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट 3. रोहित द्विवेदी पुत्र रामनारायण द्विवेदी निवासी ग्राम लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 01 अदद छुरा के साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों अभियुक्त किसी अपराधिक घटना कारित करने के प्रयास में थे। बरामद मोटर साइकिल के कोई दस्तावेज न होने पर अन्तर्गत धारा 207 एमबी एक्ट के तहत सीज किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 4/25/35 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. 01 अदद छुरा
2. 01 मोटर साइकिल

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. मुख्य आरक्षी जुबेर अली थाना मऊ
2. आरक्षी अरविंद कुमार मौर्य
3. आरक्षी रणवीर सिंह